मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः02.05.2025

थाना चील्ह पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अदद देशी कट्टा 02 अदद कारतूस, चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल(पल्सर) तथा चोरी की अवशेष धनराशि ₹ 1680/- नगद बरामद —

थाना चील्ह जनपद मीरजापुर पर दिनांकः01.05.2025 को वादिनी मरजादी पत्नी स्व0माता प्रसाद निवासिनी चेकसारी थाना चील्ह जनपद मीरजापुर द्वारा मोटरसाइकिल सवार 02 अज्ञात लोगो के विरूद्ध रिश्तेदार बनकर महिला की बैंक से निकाली गयी धनराशि ₹ 3000/-नगद चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-97/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी कराये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक चील्ह को निर्देश दिये गये । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना चील्ह पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में पतारसी-सुरागरसी, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलन एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांकः02.05.2025 को थाना चील्ह पुलिस द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1.विपिन निषाद पुत्र मंगला प्रसाद निवासी मवैया थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज 2. शिवम पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भडेवरा थाना करछना जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 02 अदद देशी कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस, चोरी की अवशेष धनराशि ₹1680/-नगद तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल पल्सर बरामद किया गया । अभियुक्त विपिन निषाद व शिवम पाण्डेय उपरोक्त के कब्जे से बरामद देशी कट्टा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-98/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तो को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा मौके से बरामद चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पल्सर(बिना नम्बर) का वैध कागजात प्रस्तुत न करने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में चोरी की घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा महिला से ₹ 3000/-चोरी कर आपस में ₹ 1500-1500 बांट लिया गया था और आज पुनः चोरी या लूट की घटना कारित करने के उद्देश्य से आये थे कि पकड़े गये ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.विपिन निषाद पुत्र मंगला प्रसाद निवासी मवैया थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज, उम्र करीब- वर्ष।
2.शिवम पाण्डेय पुत्र राजबहादुर पाण्डेय निवासी भड़ेवरा थाना करछना जनपद प्रयागराज, उम्र करीब- वर्ष।

विवरण बरामदगी —

- चोरी की अवशेष धनराशि ₹1680/- नगद (मु0अ0सं0-97/2025 से सम्बन्धित)
- 02 अदद देशी कट्टा व 02 अदद जिन्दा कारतूस।
- चोरी की घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल पल्सर 220cc बिना नम्बर।

पंजीकृत अभियोग —

1. मु0अ0सं0-97/2025 धारा 303(2),317(2),317(4),317(5),313 बीएनएस थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-98/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास —

a) अभियुक्त विपिन निषाद उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-146/2024 धारा 304(2)बीएनएस थाना जिगना जनपद मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-162/2024 धारा 309(4)बीएनएस थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।
3.मु0अ0सं0-181/2024 धारा 304 बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
4.मु0अ0सं0-196/2024 धारा 109(1)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।
5.मु0अ0सं0-265/2024 धारा 303(2),317(2)बीएनएस थाना चुनार जनपद मीरजापुर।
6.मु0अ0सं0-70/2025 धारा 392 भादवि थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।
7.मु0अ0सं0-92/2025 धारा 3(1)गैंगेस्टर अधिनियम थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

b) अभियुक्त शिवम पाण्डेय उपरोक्त —

1.मु0अ0सं0-511/2019 धारा 147,323,427,504,506 भादवि थाना करछना जनपद प्रयागराज।
2.मु0अ0सं0-514/2020 धारा 379,411 भादवि थाना कोरांव जनपद प्रयागराज।
3.मु0अ0सं0-516/2020 धारा 379,411 भादवि थाना कोरांव जनपद प्रयागराज।
4.मु0अ0सं0-172/2021 धारा 411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज।
5.मु0अ0सं0-194/2022 धारा 379,411 भादवि थाना खीरी जनपद प्रयागराज।
6.मु0अ0सं0-196/2022 धारा 379,411 भादवि थाना खीरी जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम झिन्नौडाड़ी पुराना रेलवे लाइन पुलिया के पास से, आज दिनांक 02.05.2025 को समय 05:58 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक विजय शंकर सिंह थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

उप-निरीक्षक संजय कुमार सिंह व सुनील कुमार।

मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह, रामचन्द्र मौर्या व आरक्षी पद्माकर सिंह, रवि कुमार।